

कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक:-न.5()पु.आ./जोध-फोर्स/2021/ 884

दिनांक:- 13.03.2023

आदेश

श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा कानिस्टेबल भर्ती 2021 की विज्ञापित क्रमांक 2305 दिनांक 29.10.2021 एवं संशोधित विज्ञापित वर्ष 2021 क्रमांक 2361 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर में पुलिस कानिस्टेबल भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 हेतु कानिस्टेबल सामान्य के 374 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 एवं पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 29/2021 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक 13,14,15,16.05.2022, व 02.07.2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक न-5(73)पुलिस-फोर्स/कानि.भर्ती-21/2022/1382 दिनांक 22.10.2022 द्वारा लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु पुलिस आयुक्त, जोधपुर (अध्यक्ष, चयन मण्डल), पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय एवं यातायात) जोधपुर (सदस्य सचिव) एवं प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगढ़ (मनोनीत सदस्य) का चयन मण्डल का गठित किया गया। उपरोक्तानुसार गठित बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का दिनांक 01.11.2022, 02.11.2022 एवं 03.11.2022 को पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश क्रमांक 29/2021 व राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता/ शारीरिक मापतौल परीक्षा ली जाकर रिक्त पदों के अनुसार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन सूची पर लिया गया। कानिस्टेबल भर्ती 2021 (उत्कृष्ट खिलाडी कोटा) हेतु विज्ञापित 67 पदों पर चयन की कार्यवाही हेतु गठित चयन बोर्ड द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को चयन सूची पर लिया जाकर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (भर्ती एवं पदोन्नति) राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:न.5(73)पु.फो./कानि.भर्ती-21/2022/1383 दिनांक 23.10.2022, संशोधित आदेश क्रमांक 1426 दिनांक 28.10.2022, व 1833 दिनांक 22.11.2022 द्वारा जिला आंगवटित किया जाकर 374 पदों में से पुलिस आयुक्तालय जोधपुर को 07 पदों पर (उत्कृष्ट खिलाडी कोटा) नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता/ जन्मतिथि सत्यापन में नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कानिस्टेबल सामान्य के पद पर उपस्थिति देने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/ परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर पूर्णतया अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति किये गये निम्न अभ्यर्थी पुलिस लाईन, आयुक्तालय जोधपुर में दिनांक 17.03.2023 तक उपस्थिति देंगे-

S.No.	Roll No.	Name With Father's Name & Address	Merit No.	Caste	Category	Select Category	Sex	Date of Birth	Education	Height	Chest Normal	Chest expanded	Weight	Belt No.
1.	907544397	श्री सोहनराम पुत्र श्री दुर्गाराम पता- गांव,पोस्ट व थाना पीलवा, तहसील परबतसर, नागौर	58	जाट	OBC	Gen-M-34	पुरुष	23-04-1998	स्नातक	180.2	95.5	105	77	649
2.	907515321	श्री अभिषेक पुत्र श्री चण्डीदान पता- जावोला का बास, बावडी, पुलिस थाना खेडापा, जोधपुर	61	वारण	OBC	Gen-M-37	पुरुष	10-08-2002	12वीं	175.9	81.9	90.4	60	651

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कानिस्टेबल पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधधीन दी जा रही है-

- यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 राजस्थान सेवा नियम एवं राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी आदेश व शर्तों के अधधीन है।
- राज्य सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ-15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार शेड्यूल iv में नियम 16 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए रूपये 14600/- नियत मासिक पारिश्रमिक (Fixed remuneration) देय होगा।

3. उपरोक्त नव नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकाल हेतु की गई है, दो वर्ष की परिवीक्षाकाल की अवधि समाप्त होने पर इनकी सेवाओं की समीक्षा की जायेगी तथा सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर इनका सेवा काल सक्षम अधिकारी (नियुक्ति अधिकारी) द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अभ्यर्थी के स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पाये जाने एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर इनका स्थाईकरण किया जाकर वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कानिस्टेबल पद की पे-मेंट्रिक्स लेवल 05 में नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा तथा नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी। दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि में इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
4. राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 16 की अनुसूची iv के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार इन अभ्यर्थी को परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कुल 15 योम आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
5. परिवीक्षा अवधि में कर्मचारी की सेवा में किसी प्रकार का अवकाश (अवकाश लेखे) में जमा नहीं किया जायेगा। परन्तु महिला कर्मचारियों को आरएसआर नियम 103 एवं 104 के तहत प्रसूति अवकाश देय होगा।
6. अभ्यर्थी सेवा नियमों के नियम 12ए (1) के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि में या उस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के पश्चात् 02 वर्ष की अवधि में त्याग पत्र देता है अथवा अन्य स्थान पर नियोजन हेतु पद त्याग करता है तो वह प्रशिक्षण काल में प्राप्त हुई धनराशि एवं सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की राशि लौटाने हेतु बाध्य होगा। इस संबंध में ड्यूटी ज्वॉइन करते समय निर्धारित प्रारूप में 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प बॉण्ड (इकरार नामा) कलेक्टर/ सहायक कलेक्टर/ परगनाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रमाणितशुदा प्रस्तुत करेंगे।
7. अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.13(3)एफ.डी./ रूल्स/ 2001 दिनांक 04.10.2001 एवं अधिसूचना में क्रमांक/क-2/95/ पार्ट/ दिनांक 13.08.2004 की गालना में विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 01.06.2002 को एवं दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति के उपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी के दो से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. यदि अभ्यर्थी उपस्थिति प्रस्तुत करने के दौरान अविवाहित हो तो उसे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह दो से अधिक संतान नहीं करेगा व राज्य सेवा के दौरान विवाह होने पर वह दहेज स्वीकार नहीं करेगा एवं अभ्यर्थी विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र व साथ ही विवाह में दहेज नहीं लिया/ दिया, संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाह के दौरान अथवा पश्चात् दहेज स्वीकार करना पाया गया तो वह राज्य सेवा का पात्र नहीं होगा।
9. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र निहित प्रारूप में 50/- रुपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
10. नवनियुक्त अभ्यर्थी धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
11. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर, गलत तथ्य प्रस्तुत करना पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जावेगा। यदि गलत सूचना नियुक्ति उपरान्त ज्ञात होती है तो, अभ्यर्थी को राज्य सेवा से पृथक करते हुए उसके विरुद्ध विधि सम्मत आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।
12. यह नियुक्ति कानिस्टेबल भर्ती वर्ष 2021 पुलिस आयुक्तालय जोधपुर हेतु माननीय न्यायालय में दायर रिटों के अन्तिम निर्णय के अभ्यर्थीन रहेगी।
13. नवनियुक्त अभ्यर्थी पुलिस लाईन, आयुक्तालय जोधपुर रातानाडा में उपस्थिति के समय दो पासपोर्ट साईज फोटो मय मैस एडवांस राशि 3500/- रुपये सहित उपस्थिति देंगे। नवपदस्थापित स्थान पर उपस्थिति देने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. दो वर्ष की राज्य सेवा के दौरान राजकीय यात्रा करने पर इन्हें यात्रा भत्ता देय होगा परन्तु स्थानान्तरण पर सिर्फ मील भत्ता तथा आकस्मिक व्यय की राशि इन्हें देय प्रतिमाह फिक्स राशि के अनुसार ही दी जायेगी।
15. समस्त अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक में खाता होने की पासबुक की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।
16. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात् ही सेवाभिलेख में उसकी इन्द्राज की जायेगी तब तक शैक्षणिक योग्यता तदर्थ आधार पर मानी जायेगी।

उपरोक्त समस्त अभ्यर्थीगण रिजर्व पुलिस लाईन, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर में दिनांक 17.03.2023 तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति देंगे।

ई.ओ.बी.सं. 379/2023

(विनीत कुमार बंसल)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड/प्रशिक्षण, राजस्थान जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, (मुख्यालय) राज.जयपुर
3. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
4. जिला कलक्टर, जोधपुर।
5. समस्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जोधपुर/जयपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, मय जीआरपी राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तराज, आयुक्तालय जोधपुर।
8. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तराज/थानाधिकारीगण पुलिस आयुक्तालय जोधपुर।
9. संचित निरीक्षक, पुलिस लाईन, आयुक्तालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि कानिस्टेबल पद पर नियुक्ति हेतु चयनित उपरोक्त अभ्यर्थी से निहित शर्तों के अनुसार निम्न बंध पत्र (बॉर्ड) प्राप्त करेंगे।
 1. विवाहित होने की अवस्था में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र
 2. बच्चों संबंधी शपथ पत्र
 3. दहेज नहीं लेने संबंधी निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
 4. एस.बी.आई. बैंक में खाता होने की पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (वेतन आहरण हेतु)
 5. अभ्यर्थी अपने साथ मैस एडवॉन्स के 3500/-रूपये एवं इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार राशि अपने साथ लेकर आयेगे।उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आमद की जाकर उनके दस्तावेज एवं उपस्थिति बाबत राजनामचा रपट की प्रति इस कार्यालय में भिजवावे।
10. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
11. प्रभारी गोपनीय शाखा/लेखा शाखा/सामान्य शाखा/कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
12. ओ.बी.पंजिका/सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली लिपिक।
13. समस्त अभ्यर्थीगण को पालनार्थ।

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात,
जोधपुर।